



भारतीय स्टेट बैंक

केन्द्रीय भर्ती एवं पदोन्नति विभाग, कॉरपोरेट केन्द्र, मुंबई

फोन: 022-2282 0427; फैक्स: 022-2282 0411; ईमेल: crpd@sbi.co.in

कनिष्ठ सहयोगियों (ग्राहक सहायता एवं विक्रय) की भर्ती (विज्ञापन संख्या: CRPD/CR/2019-20/20)

आवेदन का ऑन-लाइन पंजीकरण और शुल्क जमा करने की तिथि: 03.01.2020 से 26.01.2020

भारतीय स्टेट बैंक में लिपिकीय संवर्ग में कनिष्ठ सहयोगी (ग्राहक सहायता एवं विक्रय) के रूप में नियुक्ति के लिए भारतीय नागरिकों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। उम्मीदवार केवल एक राज्य के लिए ही आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती परियोजना के तहत उम्मीदवार केवल एक बार ही इस परीक्षा में भाग ले सकते हैं। एक विशेष राज्य के रिक्त-पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार को उस राज्य की निर्दिष्ट चयन की गई स्थानीय भाषा (प्रत्येक राज्य/संघ शासित प्रदेश के सामने दी गई रिक्त-पदों की तालिका में उल्लिखित) में कुशल (पढ़ना, लिखना, बोलना और समझना) होना चाहिए। निर्दिष्ट चयनित स्थानीय भाषा के ज्ञान की परीक्षा चयन प्रक्रिया के एक भाग के रूप में आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा ऑनलाइन मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद परंतु बैंक की सेवा में आने से पूर्व आयोजित की जाएगी। जो उम्मीदवार इस परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं होते हैं, उन्हें नियुक्ति का प्रस्ताव नहीं दिया जाएगा। जो उम्मीदवार निर्दिष्ट चयनित स्थानीय भाषा का अध्ययन किए जाने के प्रमाणस्वरूप 10वीं या 12वीं कक्षा की अंकतालिका या प्रमाणपत्र प्रस्तुत करते हैं, उन्हें उस भाषा की परीक्षा देना आवश्यक नहीं होगा। भर्ती किए जाने वाले कनिष्ठ सहयोगियों के अंतर मंडल स्थानांतरण/अंतर राज्य स्थानांतरण के लिए कोई प्रावधान नहीं है।

प्रारंभिक परीक्षा अनन्तिम रूप से फरवरी/मार्च 2020 में आयोजित होगी और मुख्य परीक्षा अनन्तिम रूप से 19.04.2020 को आयोजित होगी। उम्मीदवारों को सूचित किया जाता है कि वे संपूर्ण विवरण और अद्यतन जानकारी के लिए बैंक की वेबसाइट <https://bank.sbi/careers> या <https://www.sbi.co.in/careers> को नियमित रूप से देखें। बिन्दु क्र.4 चयन प्रक्रिया में दिए गए विवरणों के अनुसार परीक्षा आयोजित की जाएगी।

रिक्त-पद:

मंडल	राज्य/यूटी	भाषा*	नियमित रिक्त-पद											पिछले बकाया रिक्त-पद												
			श्रेणीवार					पीडब्ल्यूडी				भूतपूर्व सैनिक		अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व.				पीडब्ल्यूडी				भूतपूर्व सैनिक				
			सामान्य	ईडब्ल्यूएस	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	कुल	एल.डी.	वी.आई.	एच.आई.	डी और ई ⁰	एक्सएस	डीएक्सएस	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	कुल	एल.डी.	वी.आई.	एच.आई.	डी और ई ⁰	कुल	एक्सएस	डीएक्सएस	कुल
अहमदाबाद	गुजरात	गुजराती	227	55	38	82	148	550	6	6	5	5	55	24	0	68	0	68	0	0	25	0	25	0	0	0
	दमन एवं दीव		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
अमरावती	आंध्र प्रदेश	तेलुगू/उर्दू	61	15	24	10	40	150	2	2	1	1	15	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
बेंगलूरु	कर्नाटक	कन्नड	191	47	76	33	128	475	5	5	5	4	47	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
भोपाल	मध्य प्रदेश	हिन्दी	205	51	76	102	76	510	5	5	5	5	51	22	0	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0
	छत्तीसगढ़		78	19	22	60	11	190	2	2	2	1	19	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
बंगाल	पश्चिम बंगाल	बंगाली/नेपाली	247	61	140	30	134	612	6	7	6	7	61	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	अंड. व निको. द्वीप	हिन्दी/अंग्रेजी	15	2	0	2	7	26	0	0	1	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	सिक्किम	नेपाली/अंग्रेजी	7	1	0	2	2	12	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
भुवनेश्वर	ओडिशा	ओडिया	171	42	68	93	51	425	4	5	4	4	42	19	0	0	0	0	0	2	11	1	14	0	57	57
चंडीगढ़	जम्मू एवं कश्मीर	उर्दू/हिन्दी	23	5	4	5	13	50	1	1	0	0	5	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	लद्दाख	लद्दाखी/उर्दू/डोगरी	8	1	1	1	4	15	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	हिमाचल प्रदेश	हिन्दी	77	18	46	7	37	185	2	2	2	1	18	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	चंडीगढ़	पंजाबी/हिन्दी	13	2	4	0	6	25	1	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
चेन्नई	तमिलनाडु	तमिल	171	39	74	3	106	393	4	4	4	3	39	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	पॉन्डिचेरी		5	0	1	0	1	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
दिल्ली	दिल्ली	हिन्दी	60	14	21	10	38	143	2	1	1	1	14	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	उत्तराखंड		141	25	45	7	32	250	3	2	3	2	25	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
दिल्ली/चंडीगढ़	हरियाणा	हिन्दी/पंजाबी	45	9	17	0	26	97	2	0	1	0	9	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
हैदराबाद	तेलंगाना	तेलुगू/उर्दू	151	37	60	26	101	375	4	4	4	3	38	16	0	0	0	0	0	0	8	9	17	3	30	33
जयपुर	राजस्थान	हिन्दी	200	50	85	65	100	500	5	5	5	5	50	22	0	3	0	3	0	0	28	0	28	0	0	0
केरल	केरल	मलयालम	207	39	39	3	106	394	4	4	4	4	39	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	लक्षद्वीप		4	0	0	2	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
लखनऊ/दिल्ली	उत्तर प्रदेश	हिन्दी/उर्दू	357	86	181	8	233	865	9	10	8	8	86	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
महाराष्ट्र/मुंबई मेट्रो	महाराष्ट्र	मराठी	384	86	86	77	232	865	8	10	8	8	86	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
महाराष्ट्र	गोवा	कोंकणी	7	1	0	1	1	10	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
उत्तर-पूर्वी	असम	आसामी/बंगाली/बोडो	82	18	12	21	49	182	2	2	2	1	18	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	अरुणाचल प्रदेश	अंग्रेजी	5	1	0	4	0	10	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	मणिपुर	मणिपुरी	11	2	0	7	2	22	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	मेघालय	अंग्रेजी/गारो/खासी	14	3	0	13	1	31	1	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	मिजोरम	मिजो	9	2	0	10	1	22	0	0	0	0	2	1	0	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0
	नागालैंड	अंग्रेजी	7	1	0	6	0	14	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
पटना	बिहार	हिन्दी/उर्दू	107	23	36	2	62	230	2	3	2	2	23	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	झारखण्ड	हिन्दी/संथाली	20	4	5	11	5	45	0	1	1	0	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
कुल			3387	777	1209	713	1784	7870	83	83	75	66	778	340	0	130	4	134	0	2	72	10	84	3	87	90

विशेष भर्ती अभियान			नियमित रिक्त-पद											पिछले बकाया रिक्त-पद												
मंडल	राज्य/यूटी	भाषा*	श्रेणीवार					पीडब्ल्यूडी				भूतपूर्व सैनिक		अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व.				पीडब्ल्यूडी				भूतपूर्व सैनिक				
			सामान्य	ईडब्ल्यूएस	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	कुल	एल.डी.	वी.आई.	एच.आई.	डी और ई ⁰	एक्सएस	डीएक्सएस	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	कुल	एल.डी.	वी.आई.	एच.आई.	डी और ई ⁰	कुल	एक्सएस	डीएक्सएस	कुल
चंडीगढ़	कश्मीर घाटी	उर्दू/कश्मीरी/डोगरी	23	5	4	5	13	50	1	1	0	0	5	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	लेह और कारगिल घाटी	उर्दू/लद्दाखी/डोगरी	10	2	1	2	5	20	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
उत्तर-पूर्वी	दिबांग घाटी, तवांग आदि	अंग्रेजी	9	2	0	9	0	20	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	तुरा	गारो	9	2	0	8	1	20	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	मोकोकचुंग	आवो (नागा)	9	2	0	9	0	20	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
कुल			60	13	5	33	19	130	1	1	0	0	13	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
कुल योग			3447	790	1214	746	1803	8000	84	84	75	66	791	345	0	130	4	134	0	2	72	10	84	3	87	90

*उम्मीदवार को ऑनलाइन आवेदन के समय एक भाषा का चयन करना होगा। @ निःशक्त व्यक्ति अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 34(1) के डी और ई श्रेणी के अंतर्गत दिव्यांग व्यक्ति।

संक्षिप्ताक्षर: सामान्य – सामान्य श्रेणी; ईडब्ल्यूएस – अर्थिक रूप से कमजोर; अ.जा. – अनुसूचित जाति, अ.ज.जा. – अनुसूचित जनजाति; अ.पि.व. – अन्य पिछड़ा वर्ग; पीडब्ल्यूडी – अशक्त व्यक्ति; वीआई – दृष्टि बाधित, एचआई – श्रवण बाधित, एलडी – लोकोमोटर निःशक्तता व्यक्ति; डी एंड ई – निःशक्त व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 34(I) डी एंड ई – श्रेणी; एक्सएस – भूतपूर्व सैनिक, डीएक्सएस – अशक्त भूतपूर्व सैनिक/भूतपूर्व सैनिक के आश्रित.

विभिन्न श्रेणियों के तहत आरक्षण प्रचलित सरकारी दिशानिर्देशों के अनुसार रहेंगे.

(क) पीडब्ल्यूडी/एक्सएस/डीएक्सएस उम्मीदवारों के लिए आरक्षण समांतर आरक्षण है तथा यह विभिन्न मूल श्रेणियों के रिक्त-पदों में नियमित रिक्त-पद तालिका में सम्मिलित है.

(ख) कुल रिक्त-पदों में से 4.5% रिक्त-पद दिव्यांग भूतपूर्व सैनिकों तथा मुठभेड़ में मृत सैनिकों के आश्रितों के लिए संयुक्त रूप में आरक्षित हैं.

नियुक्ति के मामले में पहली प्राथमिकता दिव्यांग भूतपूर्व सैनिकों को और दूसरी प्राथमिकता मुठभेड़ में मृत अथवा गंभीर रूप से दिव्यांग (रक्षा सेवाओं में हुई 50% से अधिक अशक्तता के साथ) रक्षाकर्मियों के आश्रितों को दी जाएगी.

महत्वपूर्ण टिप्पणी :-

(i) ओबीसी श्रेणी के लिए आरक्षित रिक्त-पद ‘‘गैर-क्रीमी लेयर’’ के ओबीसी उम्मीदवारों के लिए उपलब्ध हैं. ओबीसी श्रेणी के उम्मीदवार जो ‘‘क्रीमी लेयर’’ में आते हैं, ओबीसी श्रेणी के लिए उपलब्ध किसी छूट/आरक्षण के हकदार नहीं होंगे. उन्हें अपनी श्रेणी सामान्य अथवा सामान्य (एल.डी./वी.आई./एच.आई/डी और ई), जो भी लागू हो, दर्शानी होगी.

(ii) ओबीसी श्रेणी के उम्मीदवारों को भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में ओबीसी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा, जिसमें ‘‘गैर-क्रीमी लेयर’’ खंड हो और बैंक में नियुक्ति की स्थिति में 01.04.2019 से नियुक्ति की तिथि के बीच जारी किया हुआ हो.

(iii) भर्ती में अर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण, भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत और पेशन मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन क्र. 36039/1/2019-Estt (Res) दिनांक 31.01.2019 के अधीन होगा.

अस्वीकरण: आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की रिक्तियाँ अनंतिम है और भारत सरकार के अगले आदेश के मुताबिक और किसी तरह के मुकदमे के परिणाम के तहत होगा. नियुक्ति अनंतिम है और ‘‘आय और संपत्ति प्रमाण पत्र’’ के उचित माध्यम से जाँच पर निर्भर है.

(iv) ईडब्ल्यूएस श्रेणी के तहत आरक्षण का लाभ भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी ‘आय और संपत्ति प्रमाण पत्र’ के प्रस्तुतीकरण पर उपलब्ध किया जा सकता है.

(v) लिपिक या अधिकारी संवर्ग में एसबीआई में काम कर रहे उम्मीदवार इस परियोजना के तहत आवेदन करने के लिए पात्र नहीं हैं. उम्मीदवार जो लिपिक या अधिकारी संवर्ग के तहत पहले भारतीय स्टेट बैंक में कार्यरत थे और बैंक से इस्तीफा दे दिया हो, वह भी इस पद के लिए आवेदन करने के लिए पात्र नहीं होंगे.

(vi) उम्मीदवार जिनके खिलाफ चरित्र और पूर्ववर्तियों, नैतिकता आदि के बारे में प्रतिकूल रिपोर्ट हैं, वह भी इस पद के लिए आवेदन करने के लिए पात्र नहीं हैं.

(vii) ऋण/क्रेडिट कार्ड की देनदारी में चूक के रिकॉर्ड वाले उम्मीदवार और/या जिसके खिलाफ सिबिल या अन्य एजेंसियों की प्रतिकूल रिपोर्ट है, उन्हें चयन होने की दशा में भी नियुक्त नहीं किया जाएगा. बैंक की सेवा में आने से पूर्व इस संबंध में स्थिति की जांच की जाएगी.

उपरोक्त रिक्त-पद अनंतिम हैं और बैंक की वास्तविक आवश्यकता के आधार पर उक्त रिक्त-पदों की संख्या भिन्न हो सकती है. उम्मीदवार केवल एक राज्य के रिक्त-पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं. भर्ती किए जाने वाले कनिष्ठ सहयोगियों के अंतर मंडल स्थानांतरण/अंतर राज्य स्थानांतरण के लिए कोई प्रावधान नहीं है. आवेदक की उसी राज्य के रिक्त-पदों के लिए उम्मीदवारिता पर विचार किया जाएगा जिसके लिए उसने आवेदन किया है/चुना है. उम्मीदवार किसी भी अधिसूचित केंद्र से परीक्षा में उपस्थित हो सकता/सकती है. हालांकि, उसे उस केंद्र (बैंक द्वारा तय किए गए) जिस राज्य के लिए उसने आवेदन किया है, में निर्दिष्ट चयनित स्थानीय भाषा की परीक्षा के लिए अपने स्वयं के खर्च पर उपस्थित होना होगा. मेरिट लिस्ट को राज्यवार, श्रेणीवार तैयार किया जाएगा और उम्मीदवारों को उनके चयन की स्थिति में उस राज्य में तैनात किया जाएगा, जिसके लिए वे आवेदन कर रहे हैं और वे अंतर राज्य/अंतर मंडल स्थानांतरण के लिए पात्र नहीं होंगे.

1. पात्रता मानदण्ड:

(क) आयु सीमा: (01.01.2020 को)

न्यूनतम आयु 20 वर्ष और अधिकतम 28 वर्ष दि. 01.01.2020 को अर्थात जिन उम्मीदवारों का जन्म 02.01.1992 और 01.01.2000 (दोनों दिन सम्मिलित) के बीच हुआ हो केवल वही आवेदन के लिए पात्र हैं.

ऊपरी आयु सीमा में छूट:

क्र.	श्रेणी	आयु में छूट
1.	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति	5 वर्ष
2.	अन्य पिछड़े वर्ग	3 वर्ष
3.	शारीरिक रूप से अशक्त व्यक्ति (सामान्य/ईडब्ल्यूएस)	10 वर्ष
4.	पीडब्ल्यूडी (अ.जा./अ.ज.जा.)	15 वर्ष
5.	पीडब्ल्यूडी (अन्य पिछड़े वर्ग)	13 वर्ष
6.	भूतपूर्व सैनिक/शारीरिक रूप से अशक्त भूतपूर्व सैनिक	रक्षा सेवा की वास्तविक सेवा अवधि +3 वर्ष, (शारीरिक रूप से अशक्त अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के भूतपूर्व सैनिक के लिए 8 वर्ष हैं.) अधिकतम आयु 50 वर्ष.
7.	विधवा, तलाकशुदा महिलाएं और अपने पतियों से कानूनी रूप से अलग हुई महिलाएं जिन्होंने पुनः विवाह नहीं किया है.	7 वर्ष (अधिकतम आयु सीमा सामान्य वर्ग हेतु 35 वर्ष, अ.पि.व. के लिए 38 वर्ष और अ.जा./अ.ज.जा. उम्मीदवारों के लिए 40 वर्ष)

नोट: (i) आयु सीमा में छूट चाहने वाले उम्मीदवारों को यदि वे इस योग्य पाए जाते हैं, तो जरूरी प्रमाणपत्र (पत्रों) की प्रतियां कार्य-ग्रहण करते समय प्रस्तुत करनी होगी. ऑनलाइन आवेदन पंजीकरण के पश्चात, किसी उम्मीदवार की श्रेणी में कोई परिवर्तन संभव नहीं है.

इस संबंध में किसी पत्र-व्यवहार/ई-मेल/फोन पर विचार नहीं किया जाएगा.

(ii) **संचयी आयु छूट उपरोक्त मदों के अंतर्गत या किसी अन्य मद के साथ संयुक्त रूप में उपलब्ध नहीं होगी.**

(ख) आवश्यक शैक्षणिक योग्यता: (01.01.2020 को)

एक मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक उपाधि अथवा केंद्र सरकार द्वारा उसी के समान मान्यता प्राप्त कोई भी समकक्ष योग्यता. समाकलित दोहरी उपाधि (आईडीडी) प्रमाणपत्र के धारक उम्मीदवार सुनिश्चित करें कि आईडीडी उत्तीर्ण होने की तारीख 01.01.2020 को या उससे पूर्व है.

जो उम्मीदवार अपनी स्नातक परीक्षा के अंतिम वर्ष/सेमेस्टर में हैं, वे भी अनंतिम रूप से इस शर्त के अधीन आवेदन कर सकते हैं कि यदि अनंतिम रूप से चयनित हैं, तो उन्हें दिनांक 01.01.2020 को या उससे पूर्व स्नातक परीक्षा पास करने का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा.

नोट: (क) परीक्षा पास करने की तारीख वही मानी जायेगी, जो विश्वविद्यालय/संस्थान से जारी अंक तालिका या अनंतिम प्रमाणपत्र पर दी हुई है. यदि किसी विशेष परीक्षा का परिणाम विश्वविद्यालय/संस्थान के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाणपत्र में वेबसाइट पर परिणाम घोषित करने की तिथि दर्शायी गई है, तो उसी तिथि को परीक्षा उत्तीर्ण करने की तिथि माना जाएगा. (ख) भूतपूर्व सैनिक, जो एएससी पास हैं और भारतीय सेना के विशेष शैक्षणिक प्रमाणपत्र या भारतीय नौसेना/वायुसेना का समकक्ष प्रमाणपत्र पाया है, और जिन्होंने संघ की भारतीय सेना में 15 वर्ष या अधिक की सेवा प्रदान की है, पात्र हैं, ऐसे प्रमाणपत्र दि. 01.01.2020 को या उसके पूर्व प्राप्त किए गए हों.

2. शारीरिक रूप से अशक्त (पीडब्ल्यूडी) व्यक्तियों के लिए आरक्षण:

निःशक्त व्यक्ति अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 34 के अनुसार निर्धारित निःशक्तता रखने वाले व्यक्तियों को 4 प्रतिशत का समस्तरीय आरक्षण दिया गया है. आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम 2016 की अनुसूची में परिभाषित किए गए विकलांग व्यक्तियों के लिए उपयुक्त पोस्ट की पहचान की गई है:

क. चलने की निःशक्तता (एलडी): ऐसा व्यक्ति जो मस्तिष्क अथवा नर्वस विकार अथवा दोनों के कारण स्वयं और वस्तु की गति से जुड़े कार्यकलाप कर पाने में अक्षम हो. इसमें निम्नलिखित भी सम्मिलित हैं. चलने-फिरने की निःशक्तता के अंतर्गत सेरेब्रल पाल्सी, ठीक हो चुका कोढ़, बौनापन, मांसपेशीय दुर्विकार तथा एसिड अटैक के पीड़ित आते हैं. निम्नलिखित आरथोपेडिक विकलांग व्यक्ति भी चलने की निःशक्तता के अंतर्गत माने जाते हैं:-

- अ. ओए** – एक हाथ प्रभावित (दाहिना या बायां)
- ब. ओएल** – एक पैर प्रभावित (दाहिना या बायां)
- क. ओएएल** – एक हाथ और एक पैर प्रभावित
- ड. बीएल** – दोनों पैर प्रभावित किंतु हाथ प्रभावित नहीं

ओए और ओएएल श्रेणी के व्यक्तियों के दूसरे अंग सामान्य रूप से कार्य करना चाहिए.

क. ‘ठीक हो चुके कोढ़’ से आशय उस व्यक्ति से है, जिसका कोढ़ ठीक हो गया है, परंतु वह निम्नलिखित प्रभाव से जूझ रहा है :

- i. हाथों या पैरों में संवेदना की कमी के साथ-साथ आंखों और पलकों में संवेदना की कमी व पक्षाघात होना, परंतु कोई स्पष्ट विकृति न होना.
- ii. स्पष्ट विकृति और पक्षाघात होने पर भी जिसके हाथ और पैर सामान्य आर्थिक कार्यकलाप करने में सक्षम हों.
- iii. चरम शारीरिक विकृति के साथ-साथ उसका अधिक उम्र का होना, जो उसे कोई लाभप्रद व्यवसाय करने से रोकता हो, वहाँ, ‘कोढ़ ठीक हो गया है’ भाव को उसी अनुसार समझा जाएगा.

ख. ‘सेरेब्रल पाल्सी’ का आशय उस गैर-विकसनशील न्यूरोलॉजीकल स्थिति से है जो शरीर और मांसपेशियों के समन्वय को प्रभावित करती है. इससे मस्तिष्क का कोई एक या अधिक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो जाता है. यह प्रायः जन्म से पूर्व, जन्म के दौरान या जन्म के तुरंत बाद होता है.

ग. ‘बौनेपन’ से आशय ऐसी चिकित्सकीय या जेनेटिक स्थिति से है, जिससे किसी व्यक्ति की लम्बाई 4 फुट 10 इंच (147 सेंटीमीटर) या उससे कम रह जाती है.

घ. ‘मांसपेशीय दुर्विकार’ से आशय ऐसे वांशिक जेनेटिक मांसपेशीय रोग समूह से है जो उन मांसपेशियों को कमजोर करता है, जिनसे मानव शरीर गतिशील होता है. बहु मांसपेशीय दुर्विकार से पीड़ित व्यक्ति के जीन में गलत और अधूरी जानकारी होती है, जिससे उनकी स्वस्थ मांसपेशियों के लिए आवश्यक प्रोटीन बननी बाधित हो जाती है. इसे विकसनशील स्केलेटल मांसपेशीय कमजोरी के रूप में माना जाता है, यह मांसपेशीय प्रोटीन को कुप्रभावित करती है, इससे मांसपेशीय सेल और टिश्युज मृत हो जाते हैं.

ड. ‘एसिड अटैक पीड़ित’ से आशय ऐसे व्यक्ति से है, जो एसिड या इसी तरह के क्षयकारी तत्व फेंकने से कुरूप हो गए हो.

ख. दृष्टि बाधित (वीआई): केवल वे ही दृष्टिहीन विकलांग (वीआई) व्यक्ति आवेदन करने के लिए पात्र हैं, जो बेहतर इलाज के बाद भी निम्नलिखित में से किसी एक स्थिति से ग्रस्त रहे हैं:

अ. दृष्टिहीनता:

- पूर्णतः दृष्टिहीन होना या
- वास्तव में दृष्टि सुधारारत्मक लेंस के साथ बेहतर आंखों में 3/60 अथवा 10/200 (स्नेलेन) से अधिक न हो अथवा
- दृष्टि के क्षेत्र की सीमा विरुद्ध दिशा में 10 डिग्री के कोण बनाती हो या उससे भी कम. अथवा

ब. मंद दृष्टि:

- वास्तविक दृष्टि सुधार के बाद दृष्टि तीक्ष्णता 6/18 से अधिक न हो या 20/60 से 3/60 अथवा 10/200 (स्नेलेन) से कम न हो
- दृष्टि के क्षेत्र की सीमा विरुद्ध दिशा में 40 से 10 डिग्री के कोण बनाती हो.

ग. श्रवण बाधित (एच.आई.):

- क. बधिर: वे व्यक्ति जिनके दोनों कानों की श्रवण क्षमता स्पीच फ्रीक्वेंसी में 70 डीबी से कम रह गई हो.
- ख. बहरापन: वे व्यक्ति जिनके दोनों कानों की श्रवण क्षमता की हानि स्पीच फ्रीक्वेंसी में 60 से 70 डीबी हो गई हो.

घ. 'डी एवं ई': केवल वे व्यक्ति, जो निम्नलिखित में से किसी एक प्रकार की दिव्यांगता से ग्रस्त हैं, वे इस श्रेणी के तहत आवेदन करने के लिए पात्र हैं:

क. "विनिर्दिष्ट ज्ञानार्जन दिव्यांगता" (एसएलडी) से स्थितियों का एक ऐसा मिश्रित समूह अभिप्रेत है जिसमें भाषा को बोलने या लिखने की प्रक्रिया द्वारा आलेखन करने में कमी विद्यमान होती है जो समझने, बोलने, लिखने, अर्थ निकालने या गणितीय गणना करने में कमी के रूप में सामने आती है और इसके अंतर्गत बोधक दिव्यांगता डिस्लेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्कैलकुलिया, डिस्प्राक्सिया तथा विकासात्मक अफेसिया जैसी स्थितियां भी शामिल हैं.

ख. "मानसिक रुग्णता" (एमआई) से चिंतन, मनोदशा, बोध, अभिसंस्करण या स्मरणशक्ति का अत्यधिक विकार अभिप्रेत है जो जीवन की साधारण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समग्र रूप से निर्णय, व्यवहार, वास्तविकता की पहचानने की क्षमता या योग्यता को प्रभावित करता है किंतु जिसके अंतर्गत मानसिक मंदता नहीं है जो किसी व्यक्ति के मस्तिष्क का विकास रुकने या अपूर्ण होने की स्थिति है विशेषकर जिसकी बुद्धिमता का सामान्य से कम होना है.

ग. स्वपरायणता स्पैक्ट्रम विकार (एसडी) से एक ऐसी न्यूरॉ-विकास संबंधित स्थिति अभिप्रेत है जो विशिष्टतः जीवन के पहले तीन वर्षों में उत्पन्न होती है जो व्यक्ति को संपर्क करने की, संबंधों को समझने की और दूसरों से संबंधित होने की क्षमता प्रदान करती है और आम तौर पर यह असामान्य या एक जैसे कार्य या व्यवहार से सहबद्ध होता है.

घ. "बहु दिव्यांगता" से एलडी, वीआई, एचआई, एसएलडी, एमआई और एसडी में से बहु दिव्यांगता अभिप्रेत है.

नोट: केवल निर्दिष्ट निःशक्तता वाले व्यक्ति ही आरक्षण के लिए पात्र हैं और उनकी निर्दिष्ट निःशक्तता को यदि मापन योग्य शर्तों में परिभाषित नहीं किया गया है, तो वह 40% से कम नहीं होनी चाहिए और यदि निर्दिष्ट निःशक्तता को मापन योग्य शर्तों में परिभाषित किया गया है, तो ऐसी निःशक्तता वाले व्यक्ति, जिसे प्रमाणितकर्ता प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किया गया है, इसमें शामिल होंगे.

व्यक्ति जो आरक्षण का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें निर्धारित प्रारूप में विकलांगता संबंधी नवीनतम प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा. यह प्रमाणपत्र आवेदन में दिए गए आवास के प्रमाण में यथा उल्लिखित आवेदक के निवास के जिले के चिकित्सा प्राधिकारी या अन्य किसी अधिसूचित सक्षम प्राधिकारी (प्रमाणित करने वाला प्राधिकारी) द्वारा जारी किया हुआ होना चाहिए. प्रमाणपत्र आवेदन के पंजीकरण की अंतिम तिथि या उससे पहले का होना चाहिए.

लेखक (स्क्राइब) का उपयोग और प्रतिपूरक समय:

लेखक की सुविधा ऐसे व्यक्ति को दी जाएगी, जिसके पास 40 प्रतिशत या उससे अधिक विकलांगता है, और उस व्यक्ति द्वारा यह सुविधा वांछित है और यह केवल उन्हीं व्यक्तियों के लिए है, जो शारीरिक निःशक्तता के कारण स्पीड के साथ नहीं लिख सकते हैं. ऐसे सभी मामलों में लेखक का उपयोग करने के लिए निम्नलिखित नियम लागू होंगे:

- उम्मीदवार जो इस परीक्षा में लेखक की सेवाओं का उपयोग करना चाहते हैं, उन्हें ऑनलाइन आवेदन फार्म में इसका सावधानीपूर्वक उल्लेख करना चाहिए.
- उम्मीदवार और लेखक दोनों को ऑनलाइन परीक्षा के समय लेखक के पासपोर्ट आकार के फोटो के साथ एक उपयुक्त वचनपत्र देना होगा.
- ऐसे उम्मीदवार जो एक लेखक के उपयोग के लिए पात्र हैं, परीक्षा के प्रति घंटे 20 मिनट के प्रतिपूरक समय के लिए पात्र होंगे, चाहे वे लेखक की सुविधा का लाभ उठा रहे हों, या नहीं.
- उम्मीदवार को लेखक की व्यवस्था स्वयं और अपने खर्च पर करनी होगी.
- उपर्युक्त उल्लिखित दिशा-निर्देशों के अनुसार, यदि कोई उम्मीदवार लेखक का उपयोग करने के लिए पात्र नहीं हैं, और ऑनलाइन परीक्षा में लेखक का उपयोग करता है, वह भर्ती प्रक्रिया में आगे भाग लेने के लिए अयोग्य ठहराया जायेगा.

- कोई भी उम्मीदवार जो लेखक का उपयोग कर रहा है, उसे सुनिश्चित करना चाहिए कि वह ऊपर दिए गए दिशानिर्देशों के अनुसार परीक्षा में लेखक का उपयोग करने के लिए योग्य है.
- उपरोक्त दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने वाले कोई भी उम्मीदवार अगर लेखक का उपयोग कर रहा है, तो उस उम्मीदवार को अयोग्य घोषित किया जायेगा और यदि पहले से बैंक की सेवा में शामिल हो गया है, तो उसे बिना सूचना के सेवा से हटाया जा सकता है.
- लेखक (Scribe) का उपयोग करने की अनुमति भारत सरकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकार मंत्रालय, निःशक्तता कार्य विभाग, नई दिल्ली के कार्यालय ज्ञापन एफ नं.16-110/2003-डीडी III दिनांक 26 फरवरी, 2013 के अनुसार जारी दिशा-निर्देशों और भारत सरकार, वित्त मंत्रालय वित्तीय सेवाएं विभाग, के पत्र क्र. एफ नं. 3/2/2013-वेल्फेयर दिनांक 26.04.2013 के द्वारा जारी स्पष्टीकरण के अनुसार दी जाएगी.

3. भूतपूर्व सैनिक

केवल उन्हीं उम्मीदवारों को भूतपूर्व सैनिक माना जाएगा जो भारत सरकार, गृह मंत्रालय के कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग की अधिसूचना सं. 36034/5/85 ईएसटीटी (एससीटी) दिनांक 27 अक्टूबर 1986 के अनुसार निर्धारित और समय-समय पर संशोधित की गई परिभाषा को पूरा करते हों.

शारीरिक रूप से अशक्त भूतपूर्व सैनिक: वे भूतपूर्व सैनिक जो संघ की सशस्त्र सेना में दुश्मनों के विरुद्ध अभियान के दौरान अथवा शांत क्षेत्र (Peace time) में सेना में सेवा के कारण (attributable to Military service) शारीरिक रूप से निःशक्त हुए हों, उन्हीं को शारीरिक रूप से निःशक्त भूतपूर्व सैनिक माना जाएगा.

शहीद सैनिकों के आश्रित: निम्नलिखित सैन्य कार्रवाई में शहीद सैनिकों को सैन्य सेवा संबंधी सैन्य कार्रवाई में शहीद माना जाएगा; (क) युद्ध, (ख) युद्ध जैसी सैन्य कार्रवाई या सीमा पर होने वाली मुठभेड़ चाहे पाकिस्तान से युद्ध विराम रेखा पर या किसी अन्य देश से, (ग) सशस्त्र शत्रुओं की घुसपैठ के खिलाफ लड़ाई जैसे नागालैंड, मिजोरम आदि में, (घ) विदेशों में शांति सेना अभियान के दौरान, (ङ) सुरंगे बिछाने या हटाने, जिसमें शत्रुओं की सुरंगे भी शामिल है. साथ ही सैन्य कार्रवाई होने के एक माह पहले से पूर्व व तीन माह बाद तक की अवधि के बीच सुरंग सफाई अभियान भी, (च) वास्तविक सैन्य कार्रवाई के दौरान या सरकार द्वारा निर्धारित अवधि के दौरान हिमाघात, (छ) आंदोलनरत क्षेत्र में शहीद हुए अर्ध-सैनिक बलों के कार्मिक और (ज) श्रीलंका में सैन्य कार्रवाई के दौरान शहीद आईपीकेएफ कार्मिक, ऐसे उम्मीदवारों को आरक्षण, उपलब्ध रिक्त-पदों वाली सारणी के नीचे मद संख्या (ख) में यथा उल्लिखित रूप में दिया जाएगा.

इस आरक्षण के प्रयोजन के लिए परिवार के सदस्य में, उसकी विधवा, बेटा और बेटा या नजदीकी संबंधी जो उसके परिवार का भरण-पोषण करने के लिए सहमत हैं, शामिल होंगे. भूतपूर्व सैनिकों के लिए उपलब्ध ऊपरी आयु सीमा और शैक्षणिक अर्हताओं में छूट, युद्ध में मारे गए सैनिकों के आश्रितों के लिए उपलब्ध नहीं होगी.

नोट:

- सशस्त्र बलों से कार्यमुक्त/सेवानिवृत्त हुए उम्मीदवारों को, इस विज्ञापन में संलग्न प्रारूप 'ए' के अनुसार प्रमाण-पत्र जमा कराना होगा,
 - जो उम्मीदवार अभी भी सशस्त्र बलों में कार्यरत हैं, और भूतपूर्व-सैनिक श्रेणी में आवेदन करना चाहते हैं, उन्हें घोषणा (प्रारूप 'सी') के साथ अपने स्पेसिफिक पीरियड ऑफ एंगेजमेंट (एसपीई) पूरा होने की तिथि दर्शाते हुए सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त प्रमाण-पत्र (प्रारूप 'बी') जमा कराना होगा. इस भर्ती में आवेदन करने के लिए सिर्फ वही उम्मीदवार पात्र हैं जिनका एसपीई 31.01.2021 को या उससे पहले पूरा होता है. बैंक में कार्यग्रहण करते समय उन्हें कार्यमुक्ति संबंधी पत्र और इस बात की स्व-घोषणा देनी होगी कि, भारत सरकार के नियमों के अनुसार भूतपूर्व-सैनिकों को मान्य लाभ पाने का वह पात्र हैं,
 - जो उम्मीदवार अपने कार्य अनुबंध की आरंभिक अवधि पूरी कर चुके हैं और विस्तारित असाइन्मेंट पर हैं, उन्हें प्रारूप 'डी' के अनुसार प्रमाण-पत्र जमा कराना होगा. चयन होने पर उपरोक्त (ii) और (iii) में वर्णित उम्मीदवारों को 31.03.2021 से पूर्व कार्यमुक्त होकर उन्हें बैंक में कार्यभार ग्रहण करना होगा. यह प्रमाण-पत्र अनिवार्य रूप से ज्वाइनिंग के समय जमा कराने होंगे.
- प्रादेशिक सैन्य कार्मिकों को 15.11.1986 से भूतपूर्व सैनिक माना जाएगा.
- वह सरकारी नौकरी में पुनर्नियोजित भूतपूर्व सैनिक का दर्जा भारत सरकार कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ओएम क्र. 36034/1/2014-ईएसटीटी (आरईएस) तारीख 14.08.2014 के अधीन होगा.

4. चयन प्रक्रिया: चयन प्रक्रिया में ऑनलाइन परीक्षा होगी (प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा) और निर्दिष्ट चयनित स्थानीय भाषा की परीक्षा.

चरण-I: प्रारंभिक परीक्षा: 100 अंकों के लिए वस्तुनिष्ठ प्रारंभिक परीक्षा ऑनलाइन माध्यम से आयोजित की जाएगी. यह परीक्षा 1 घंटे की रहेगी और उसमें निम्नानुसार 3 खंड रहेंगे:

क्र.	परीक्षा का नाम	प्रश्नों की संख्या	अधिकतम अंक	अवधि
1.	अंग्रेजी भाषा	30	30	20 मिनट
2.	संख्यात्मक अभिक्षमता	35	35	20 मिनट
3.	तर्कज्ञान क्षमता	35	35	20 मिनट
	कुल	100	100	1 घंटा

प्रत्येक परीक्षा का एक अलग समय होगा जैसा ऊपर उल्लिखित है. वस्तुनिष्ठ परीक्षा में गलत उत्तरों के लिए अंक काटे जायेंगे. प्रत्येक गलत उत्तर के लिए उस प्रश्न के लिए निर्धारित अंक का 1/4 काटा जायेगा. परीक्षा के हर खंड के लिए या कुल अंक के लिए कोई न्यूनतम अर्हता अंक निर्धारित नहीं किया गया है.

मुख्य परीक्षा के लिए बैंक द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार प्रत्येक राज्य/श्रेणी से पर्याप्त संख्या में उम्मीदवार (लगभग 10 गुणा रिक्त-पदों की संख्या, उपलब्धता के आधार पर) बुलाये जायेंगे। मुख्य परीक्षा के लिए सभी उम्मीदवारों (राज्य-श्रेणीवार) को उनके समग्र अंकों के आधार पर सूचीबद्ध किया जाएगा, जो कुल अंक के अवरोही क्रम में तैयार की जाएगी।

चरण - II: मुख्य परीक्षा: ऑनलाइन मुख्य परीक्षा की संरचना निम्नवत होगी।

क्र.	परीक्षा का नाम	प्रश्नों की संख्या	अधिकतम अंक	अवधि
1.	सामान्य/वित्तीय जानकारी	50	50	35 मिनट
2.	साधारण अंग्रेजी	40	40	35 मिनट
3.	परिमाणात्मक अभिक्षमता	50	50	45 मिनट
4.	तर्कबुद्धि एवं कंप्यूटर अभिक्षमता	50	60	45 मिनट
	कुल	190	200	2 घंटे 40 मिनट

प्रत्येक परीक्षा के लिए ऊपर उल्लेख किए गए अनुसार अलग-अलग समय रहेगा।

वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं के प्रश्न, साधारण अंग्रेजी की परीक्षा को छोड़कर, द्विभाषी होंगे, यानी कि, अंग्रेजी और हिंदी में। वस्तुनिष्ठ परीक्षा में गलत उत्तरों के लिए अंक काटे जाएंगे। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए उस प्रश्न के लिए निर्धारित अंक का 1/4 काटा जायेगा।

उम्मीदवारों को कुल अंकों के न्यूनतम प्रतिशत अंक प्राप्त करना आवश्यक है (एससी/एसटी/ओबीसी/पीडब्ल्यूडी/एक्सएस उम्मीदवारों के लिए, उसमें 5% छूट उपलब्ध है)। कुल अंकों का न्यूनतम प्रतिशत अंक बैंक द्वारा तय किया जाएगा। प्रत्येक विषय के लिए न्यूनतम पात्रता अंक निर्धारित नहीं किए गए हैं। मेरिट लिस्ट को राज्यवार, श्रेणीवार तैयार किया जाएगा। परीक्षा में पात्र उम्मीदवार को (मुख्य परीक्षा) संबंधित राज्यों और श्रेणियों में अवरोही क्रम में अपने कुल अंकों के अनुसार रखा जाएगा।

नोट: परीक्षा के संबंध में अन्य विस्तृत जानकारी 'एक्सेट युवरसेल्फ' पुस्तिका में दी जाएगी, जो पात्र उम्मीदवारों को परीक्षा के लिए बुलावा-पत्र के साथ उपलब्ध कराई जाएगी।

निर्दिष्ट चुनी गयी स्थानीय भाषा की परीक्षा:

जो उम्मीदवार चयन के लिए पात्र होते हैं और 10वीं या 12वीं की अंक तालिका/प्रमाणपत्र प्रस्तुत करते हैं, जिसमें स्पष्ट रूप से चयनित स्थानीय भाषा के अध्ययन का प्रमाण उपलब्ध हो, उन्हें भाषा की कोई परीक्षा नहीं देनी होगी। अन्य के मामले में (चयन के लिए पात्रता प्राप्त), अस्थायी चयन के बाद निर्दिष्ट चयनित स्थानीय भाषा परीक्षा का आयोजन किया जाएगा जो बैंक की सेवा में आने से पहले होगी निर्दिष्ट चयनित स्थानीय भाषा में प्रवीण नहीं पाए जाने वाले उम्मीदवार को अयोग्य माना जाएगा।

अंतिम चयन (निर्दिष्ट चयनित स्थानीय भाषा की पात्रता के अधधीन)

प्रारंभिक परीक्षा (चरण -I) में प्राप्त अंकों को चयन के लिए नहीं जोड़ा जाएगा और मुख्य परीक्षा (चरण-II) में प्राप्त कुल अंक केवल अंतिम मेरिट सूची तैयार करने के लिए माना जाएगा। अस्थायी चयन मुख्य परीक्षा में उम्मीदवार के अंकों के आधार पर किया जाएगा।

अंतिम चयन निम्नलिखित के अधधीन होगा:-

- पद के लिए पात्रता और ऑनलाइन आवेदन में प्रस्तुत की गई सूचना का सत्यापन।
- निर्दिष्ट स्थानीय भाषा की परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर, जहाँ लागू हो, जैसा ऊपर वर्णित है।

अस्थायी रूप से पात्र उम्मीदवारों के परिणाम बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध कराए जाएंगे।

प्रतीक्षा सूची: रिक्त-पदों के 50% तक एक प्रतीक्षा सूची (राज्य-श्रेणी वार) बनाकर रखी जाएगी। केवल इस बैंक के किसी चयनित उम्मीदवार के कार्य-ग्रहण न करने और त्यागपत्र देने पर इस प्रतीक्षा सूची से तिमाही आधार पर प्रतीक्षा सूची में रखे गए उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र जारी किए जाएंगे परंतु यह नियुक्ति-पत्र केवल उन्हीं उम्मीदवारों को जारी किए जाएंगे जिन्होंने चयन के लिए बैंक द्वारा निर्धारित न्यूनतम पात्रता अंक प्राप्त किए हैं। यह प्रतीक्षा सूची अंतिम परिणाम घोषित करने की तिथि से एक वर्ष की अवधि के लिए वैध रहेगी।

5. **प्रारंभिक परीक्षा फरवरी/मार्च 2020 में अस्थायी रूप से निर्धारित की गई है:** परीक्षा केंद्रों की अस्थायी सूची अनुलग्नक I में उपलब्ध करायी गई है।

- उम्मीदवार को उस केंद्र का नाम चुनना चाहिए जहाँ वह परीक्षा देना चाहता/चाहती है। हांलाकि, एसबीआई, किसी भी परीक्षा केन्द्र को रद्द करने और/या कुछ अन्य केंद्रों को, अपने विवेकाधिकार पर, उम्मीदवारों की संख्या, प्रशासनिक व्यवहार्यता आदि के आधार पर जोड़ने का अधिकार सुरक्षित रखता है। एसबीआई के पास उम्मीदवार द्वारा चुने गए केंद्र के अलावा अन्य किसी केंद्र को आवंटित करने का अधिकार भी सुरक्षित है।
- परीक्षा के लिए केंद्र में बदलाव के लिए कोई भी अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा।**-उम्मीदवार अपने स्वयं के जोखिम और व्ययों पर आबंटित केंद्र में परीक्षा के लिए उपस्थित होंगे और एसबीआई किसी भी प्रकार की चोट या हानियों आदि के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।
- परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अनियंत्रित व्यवहार/दुर्व्यवहार से एसबीआई द्वारा भविष्य में आयोजित होने वाली परीक्षा से उम्मीदवारी को अयोग्य ठहराया जा सकता है।

6. **वेतन मान:** 11765-655/3-13730-815/3-16175-980/4-20095-1145/7-28110-2120/1-30230-1310/1-31450. प्रारंभिक मूल वेतनमान ₹13075/- होगा (₹11765/- तथा दो अग्रिम वेतन वृद्धि के साथ जो कि स्नातकों के लिए देय है.)

7. **परिलब्धियाँ:** मुंबई जैसे महानगर में लिपिक संवर्ग कर्मचारी को कुल शुरुआती परिलब्धियाँ डीए, मौजूदा दर पर अन्य भत्तों के साथ और दो अतिरिक्त वेतन वृद्धि नवनि्युक्त स्नातक कनिष्ठ सहयोगियों के लिए प्रति माह ₹ 26,000 देय होगी। भत्ते तैनाती की जगह के आधार पर भिन्न हो सकते हैं। वे समय-समय पर जारी किए जा सकने वाले बैंक के निर्देशों के अनुसार, विभिन्न परिलब्धियों की प्रतिपूर्ति, भविष्य निधि, नई पेंशन योजना के तहत पेंशन (परिभाषित अंशदान लाभ) चिकित्सा, अवकाश किराया व अन्य सुविधाओं के लिए पात्र होंगे।

8. **प्रोबेशन अवधि:** चुने गए उम्मीदवारों पर कार्यग्रहण के समय लागू बैंक के सेवा नियमों की निबंधन एवं शर्तें लागू होंगी। नव-नियुक्त कनिष्ठ सहयोगी न्यूनतम 6 महीने की प्रोबेशन अवधि पर रहेंगे। नये भर्ती किए गए कनिष्ठ सहायकों को बैंक सेवा में कनफर्म होने के लिए प्रोबेशन अवधि के दौरान बैंक द्वारा निर्धारित ई-लेसन को पूरा करना है। ऐसा न कर पाने पर उनका प्रोबेशन तबतक के लिए आगे बढ़ा दिया जाएगा जबतक कि ई-लेसन उनके द्वारा पूरा नहीं कर लिया जाता।

इसके अतिरिक्त, प्रोबेशन अवधि के समापन के पूर्व, नव-नियुक्त कर्मचारियों के निष्पादन बैंक की अपेक्षापूर्ति करने में असफल रहने वालों की प्रोबेशन अवधि बढ़ायी जा सकती है।

9. **परीक्षा-पूर्व प्रशिक्षण:** भारतीय स्टेट बैंक द्वारा अ.जा./अ.ज.जा./एक्सएस/धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय के उम्मीदवारों के लिए भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार निम्न केंद्रों पर परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण की व्यवस्था की जा सकती है, वे उम्मीदवार जो उपर्युक्त श्रेणियों से संबंधित हैं और अपने खर्च पर इस प्रशिक्षण के इच्छुक हैं, वे ऑन-लाइन आवेदन करते समय संबंधित कालम में सूचित करें। प्रशिक्षण केंद्रों की सांकेतिक सूची को **अनुलग्नक-1** के रूप में दिया गया है:

बैंक प्रशिक्षण हेतु दर्शाए गए केन्द्रों में कुछ केन्द्र जोड़ सकता है या उनमें से कुछ को हटा भी सकता है। जिन उम्मीदवारों ने परीक्षा-पूर्व प्रशिक्षण का विकल्प मांगा है, वे प्रशिक्षण के लिए कॉल लेटर को पंजीयन नंबर और पासवर्ड/जन्म दिनांक की प्रविष्टि करके बैंक की वेबसाइट से दिनांक 04.02.2020 से (अंतिम रूप से) डाउनलोड करें। कॉल लेटर की हार्ड प्रति डाक द्वारा नहीं भेजी जाएगी।

10. **परीक्षा के लिए कॉल लेटर्स:**

क. प्रारंभिक परीक्षा: उम्मीदवारों को बैंक की वेबसाइट से अपना पंजीकरण संख्या और पासवर्ड/जन्म तिथि दर्ज करके 11.02.2020 से (अंतिम रूप से) अपना कॉल लेटर और स्वयं जानिए पुस्तिका डाउनलोड करना चाहिए।

ख. मुख्य परीक्षा: मुख्य परीक्षा के लिए पात्र उम्मीदवार, बैंक की वेबसाइट (स्क्रीन पर उपलब्ध निर्देशों का पालन करके) से अप्रैल 2020 माह के दूसरे सप्ताह से (अंतिम रूप से) अपना कॉल पत्र डाउनलोड कर सकेंगे।

कॉल लेटर (प्रारंभिक/मुख्य)/स्वयं जानिए पुस्तिका की कोई भी हार्ड कॉपी डाक द्वारा नहीं भेजी जाएगी।

11. **परीक्षा के समय प्रस्तुत की जाने वाली पहचान प्रमाण:**

उम्मीदवार एक पहचान-पत्र जैसे कि पासपोर्ट/आधार/पैन कार्ड/ड्राइविंग लाइसेन्स/मतदाता पत्र/विधिवत सत्यापित फोटो के साथ बैंक पासबुक/पहचान-पत्र जो स्कूल या कॉलेज/राजपत्रित अधिकारी द्वारा मूल लेटरहेड पर दिया है और उसकी स्व-सत्यापित फोटो कॉपी प्रस्तुत करनी चाहिए। पहचान प्रमाण की फोटो कॉपी कॉल लेटर के साथ परीक्षा हॉल में पर्यवेक्षक को देनी होगी, ऐसा न करने पर या उम्मीदवार की पहचान पर संदेह होने पर उस उम्मीदवार को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

12. **बायोमेट्रिक सत्यापन:** बैंक विभिन्न चरणों में उम्मीदवारों के अंगूठे की निशानी उम्मीदवारों की वास्तविकता के बायोमेट्रिक सत्यापन के लिए डिजिटल प्रारूप में प्राप्त कर सकता है। उम्मीदवार यह सुनिश्चित करेंगे कि अंगूठे की सही निशानी विभिन्न चरणों में ली गई है और किसी भी असंगति से उम्मीदवारी को अस्वीकार कर दिया जाएगा। यदि कोई उम्मीदवार वास्तविक नहीं पाया जाता है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाई करने के अलावा, उसकी उम्मीदवारिता रद्द कर दी जाएगी। इस प्रकार उन्हें सलाह दी जाती है कि अपने हाथों पर मेहंदी, स्याही, रासायनिक आदि जैसे किसी बाहरी पदार्थ को न लगाएं।

13. **कदाचार के दोषी पाए गए उम्मीदवारों के विरुद्ध कार्यवाई:**

- उम्मीदवारों को यह चेतावनी दी जाती है कि आवेदन भरते समय ऐसा कोई विवरण न दें/जो असत्य, जाली/बनावटी हो एवं आवेदनपत्र भरते समय किसी भी महत्वपूर्ण सूचना को न छिपाएँ।
- यदि लिखित परीक्षा/साक्षात्कार के समय कोई उम्मीदवार निम्नलिखित बातों का दोषी पाया जाता है:
 - परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करना या
 - छद्म व्यक्ति बनकर या अन्य व्यक्ति के स्थान पर परीक्षा देना या
 - परीक्षा हॉल में दुर्व्यवहार करना या प्रश्नपत्र (अथवा उसका कोई भाग)/उत्तर पुस्तिका को परीक्षा हॉल से बाहर ले जाने या
 - उम्मीदवार के रूप में अपने चयन हेतु किसी अनियमित या अनुचित साधन का आश्रय लेना या
 - अपनी उम्मीदवारी के संबंध में किसी भी अनुचित साधन की सहायता लेना, तो ऐसे उम्मीदवार के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही तो होगी ही, साथ ही:
 - जिस परीक्षा में भाग ले रहे होंगे, उसमें उसे अयोग्य घोषित किया जाएगा।
 - भारतीय स्टेट बैंक द्वारा संचालित किसी भी भर्ती परीक्षा से स्थायी रूप से या किसी निश्चित अवधि के लिए वंचित कर दिया जाएगा।

ग) बैंक उम्मीदवार के जवाबों का परीक्षा में शामिल अन्य उम्मीदवारों के जवाबों के साथ समानता ढूँढने के लिए विश्लेषण करता है। इस विश्लेषण के आधार पर यदि यह पाया गया कि जवाब एक जैसे हैं, और प्राप्त अंक यथार्थ/वैध नहीं है, तो बैंक के पास उम्मीदवारिता रद्द करने का अधिकार सुरक्षित है।

घ) उम्मीदवारों को मोबाइल फोन, पेजर, कैलक्यूलेटर या ऐसे उपकरण का उपयोग करने की अनुमति नहीं है।

- जहां परीक्षा आयोजित की गयी है, उस परिसर में मोबाइल फोन, पेजर्स या कोई भी संचार उपकरण लाने की अनुमति नहीं है। इन सूचनाओं का पालन न करने वाले उम्मीदवारों की उम्मीदवारिता रद्द कर दी जाएगी और भविष्यकालीन परीक्षाओं में शामिल होने की अनुमति न मिलने के साथ-साथ उन पर अनुशासनिक कार्रवाई भी की जाएगी।
- उम्मीदवारों को उनके हित में यह सलाह दी जाती है कि वे मोबाइल फोन/पेजर्स जैसी निषिद्ध वस्तुएं परीक्षा परिसर में न लाएं क्योंकि इन चीजों के सुरक्षित रखरखाव का आश्वासन नहीं दिया जा सकता।
- उम्मीदवारों को परीक्षा परिसर में कैलक्यूलेटर लाने या उसका उपयोग करने की अनुमति नहीं है।

14. आवेदन शुल्क और सूचना प्रभार: (वापस न करने योग्य):

क्र.	श्रेणी	कुल
1.	अजा/अजजा/पीडब्ल्यूडी/एक्सएस	नहीं
2.	सामान्य/अपिव/ईडब्ल्यूएस	₹750/-

शुल्क/सूचना प्रभार भुगतान करने पर न तो उसे वापस किया जाएगा और न ही उस राशि को अन्य किसी परीक्षा या अन्य चयन के लिए रोककर रखा जाएगा।

15. आवेदन कैसे करें: उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और आवेदन का अन्य कोई तरीका स्वीकार नहीं किया जाएगा।

उम्मीदवारों को बैंक की वेबसाइट <https://bank.sbi/careers> या <https://www.sbi.co.in/careers> - Recruitment of Junior Associates 2020. के माध्यम से अपना पंजीकरण स्वयं ऑनलाइन करना होगा। पंजीकरण के बाद उम्मीदवार को आवश्यक आवेदन शुल्क ऑनलाइन तरीके से डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड/ इंटरनेट बैंकिंग से भरना होगा।

हेल्पडेस्क: फॉर्म भरने में कोई समस्या, शुल्क/सूचना शुल्क का भुगतान या प्रवेश/कॉल पत्र की प्राप्ति के मामले में, टेलीफोन नंबर पर प्रश्न पूछे जा सकते हैं 022-22820427 (कार्य दिवस में सुबह 11:00 बजे से शाम 06:00 बजे के बीच) या अपने प्रश्न <http://cgrs.ibps.in> पर भेजें।

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे ईमेल के विषय में 'जूनियर एसोसिएट-2020 की भर्ती' का उल्लेख करना न भूलें।

ऑनलाइन आवेदन के लिए जरूरी बातें: उम्मीदवार के पास अपना वैध ई-मेल आईडी होना चाहिए, जो अंतिम परिणाम आने तक सक्रिय रखी जानी चाहिए। उसके जरिए कॉल लेटर/साक्षात्कार के लिए सूचना आदि ई-मेल से उनको मिलने में सहायता होगी।

क. ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए दिशानिर्देश:

- फोटोग्राफ और हस्ताक्षर स्कैन करने के लिए दिए गये दिशा-निर्देशों के अनुसार उम्मीदवार पहले अपना फोटोग्राफ और हस्ताक्षर स्कैन करें. **(अनुलग्नक-II)**
- उम्मीदवार बैंक की वेबसाइट <https://bank.sbi/careers> या <https://www.sbi.co.in/careers> पर जाकर देखें और 'वर्तमान अवसरों (करन्ट ओपनिंग्स)' में उपलब्ध उचित ऑनलाइन आवेदन पत्र खोलें।
- आवेदन-पत्र सावधानी से भरें. आवेदन पत्र पूर्णतः भरने के बाद उम्मीदवार डेटा प्रस्तुत करें. प्रथम कोशिश में यदि उम्मीदवार डेटा पूर्णतः नहीं भर सकते हैं, तो पहले ही प्रविष्ट डेटा को सेव कर सकते हैं. जब डेटा सेव हो जाता है तब अनन्तिम पंजीयन संख्या और पासवर्ड प्रणाली द्वारा तैयार होगा और वह स्क्रीन पर दिखाई देगा. उम्मीदवार पंजीकरण संख्या और पासवर्ड लिख लें. पंजीकरण संख्या और पासवर्ड की मदद से वे सेव किया हुआ डेटा फिर से खोलें और यदि जरूरी हो, तो विवरणों में संशोधन करें. यह सुविधा केवल तीन बार उपलब्ध होगी. आवेदन-पत्र पूर्णतः भरने के बाद उम्मीदवार डेटा प्रस्तुत करें. इसके बाद कोई बदलाव/संशोधन की अनुमति नहीं है. इस स्तर पर पंजीकरण अनन्तिम है.
- आवेदन-पत्र में भरे विवरण सही हैं, यह सुनिश्चित करने के बाद आवेदन को स्क्रीन पर उपलब्ध निर्देशों के अनुसार आवेदन-पत्र के साथ समन्वित पेमेंट गेटवे के माध्यम से भुगतान करना होगा.
- भुगतान डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग से स्क्रीन पर पूछी गई जानकारी प्रस्तुत करने के बाद किया जा सकता है. ऑन लाइन भुगतान के लिए यदि कोई लेनदेन शुल्क हो, तो वह उम्मीदवार को अदा करना होगा.
- सफलतापूर्वक भुगतान पूर्ण होने पर, ई-रसीद एवं आवेदन पत्र तैयार होगा, जिसका प्रिंटआउट आवेदक अपने रेकार्ड हेतु ले लें. **आवेदन का प्रिंटआउट बैंक को न भेजें.**
- यदि ऑनलाइन लेनदेन सफलतापूर्वक पूर्ण नहीं होता है, तो कृपया पुनः पंजीकरण करें. आवेदक ऑनलाइन लिंक पर जाएं और अपने आवेदन विवरण पुनः भरकर ऑनलाइन भुगतान करें.

ख. फोटोग्राफ और हस्ताक्षर की स्कैनिंग के लिए दिशा-निर्देश:

ऑनलाइन आवेदन करने से पहले उम्मीदवार को निम्न निर्देशित विशेष विवरण के अनुसार अपने फोटोग्राफ एवं हस्ताक्षर की स्कैन्ड (डिजिटल) इमेज **अनुलग्नक-II** के अनुसार बनानी होगी. उम्मीदवारों द्वारा यथा निर्दिष्ट फोटो और हस्ताक्षर अपलोड किए बगैर ऑनलाइन आवेदन का पंजीयन नहीं होगा.

नोट:

- यदि फोटोग्राफ में चेहरा या हस्ताक्षर स्पष्ट नहीं है, तो उम्मीदवार का आवेदन अस्वीकार हो सकता है.
- यदि फोटोग्राफ या हस्ताक्षर स्पष्ट नहीं है, तो उम्मीदवार अपने आवेदन में संशोधन करें और फोटो और हस्ताक्षर फिर से अपलोड करें.

16. सामान्य सूचना:

- उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने पर प्रणाली द्वारा निर्मित ऑन लाइन आवेदन-पत्र का प्रिंट आउट लेकर अपने पास रखें.
- उम्मीदवारों को आवेदन करने वाले पद के लिए उनकी पात्रता के बारे में स्वयं को संतुष्ट करना चाहिए. बैंक ऑनलाइन आवेदन में दी गई जानकारी के आधार पर अपेक्षित शुल्क के साथ पद के लिए आवेदन करने वाले सभी उम्मीदवारों को परीक्षा के लिए स्वीकार करेगा और बैंक की सेवा में आने के समय ही उनकी पात्रता निर्धारित करेगा. दस्तावेजों के संदर्भ में, उम्मीदवारों की आयु/ पात्रता/ श्रेणी (एससी/ एसटी/ ओबीसी/ ईडब्ल्यूएस/ एक्सएस/ डीएक्सएस) आदि के सत्यापन के बिना परीक्षा में प्रवेश पूर्ण रूप से अनंतिम होगा.
- उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे ऑनलाइन आवेदन को सावधानीपूर्वक भरें और आवेदन में सही जानकारी दें। अंतिम रूप से प्रस्तुत करने के बाद ऑनलाइन आवेदन पत्र में उम्मीदवार द्वारा पहले से दर्ज डेटा में कोई बदलाव संभव नहीं है. **इस संबंध में किसी पत्राचार/फोन/ईमेल पर विचार नहीं किया जाएगा.**
- उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि से काफी पहले ऑन लाइन आवेदन करें और फीस का भुगतान करें ताकि इंटरनेट पर अतिभार से या वेबसाइट बंद होने से डिस्कनेक्शन/असहायता/वेबसाइट पर लॉग ऑन के लिए असमर्थता आदि न हो.
- ऊपर निर्दिष्ट कारणों से या एसबीआई के नियंत्रण के बाहर के कारणों से अंतिम तिथि के अंदर आवेदन प्रस्तुत करने में असमर्थ होने वाले उम्मीदवारों की जिम्मेदारी भारतीय स्टेट बैंक की नहीं होगी.
- उम्मीदवार एक से अधिक आवेदन प्रस्तुत न करें. यदि उम्मीदवार एक से अधिक आवेदन करता है, तो केवल अंतिम वैध (पूर्ण) आवेदन मान्य होगा और आवेदन शुल्क/सूचना प्रभार जो अन्य आवेदन के लिए भरा है उसे जब्त किया जाएगा. उम्मीदवार की परीक्षा में अनेक बार उपस्थिति/प्रकटन मान्य नहीं होगा और उसकी उम्मीदवारिता रद्द कर दी जाएगी.
- परीक्षा के आयोजन के समय कुछ समस्याओं के उत्पन्न होने की संभावना से पूरी तरह इनकार नहीं किया जा सकता है, जिसका प्रभाव परीक्षा के आयोजन तथा/अथवा परिणामों पर भी पड़ सकता है. ऐसी स्थिति में, ऐसी समस्या को दूर करने का हर संभव प्रयास किया जाएगा और ऐसे प्रयास में यदि आवश्यक हुआ, तो दूसरी परीक्षा का आयोजन करना शामिल है.
- सरकारी/अर्ध-सरकारी कार्यालयों, राष्ट्रीयकृत बैंकों और वित्तीय संस्थानों सहित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत उम्मीदवारों को चयन के मामले में नियुक्ति के समय अपने नियुक्ता का उचित "सेवा-मुक्त" प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा.
- अ.जा/अ.ज.जा उम्मीदवारों को यदि बैंक में कार्य-ग्रहण करने के लिए बुलाया जाता है, तो भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी जाति-प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा.
- अ.पि.व. श्रेणी में आरक्षण चाहने वाले उम्मीदवारों को निर्धारित प्रारूप में वचनपत्र देना होगा कि वह पंजीकरण की अंतिम तिथि को क्रीमी लेयर में समाविष्ट नहीं थे.
- 01.04.2019 को या उसके बाद से नियुक्ति, यदि उपयुक्त पाया जाता है, की तारीख तक की अवधि के दौरान जारी 'गैर-क्रिमी लेयर' से युक्त अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) प्रमाणपत्र कार्यग्रहण के समय प्रस्तुत करना होगा.
- ईडब्ल्यूएस श्रेणी के तहत आरक्षण का लाभ भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी 'आय और संपत्ति प्रमाण पत्र' के प्रस्तुतीकरण पर लिया जा सकता है.
- उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी पंजीकृत ई-मेल आईडी/मोबाइल को सक्रिय रखें जिससे कॉल लेटर/संसूचनाएं आदि जैसी सूचनाएं प्राप्त की जा सके.
- चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति बैंक द्वारा नियुक्त/अनुमोदित चिकित्सा अधिकारी (अधिकारियों) द्वारा चिकित्सा की दृष्टि से स्वस्थ घोषित किए जाने और के वाइ ई (अपने कर्मचारी को जानिए) औपचारिकताओं को संतोषजनक रूप से पूरा करने के अध्यधीन रहेगी. ऐसी नियुक्ति बैंक के सेवा एवं आचरण नियमों के भी अध्यधीन रहेगी.
- इस विज्ञापन से और/या इसके प्रत्युत्तर में प्राप्त हुए किसी आवेदन से उत्पन्न किसी दावा या विवाद के संबंध में कोई भी कानूनी कार्यवाही केवल मुंबई में प्रारंभ की जा सकती है और मुंबई स्थित न्यायालय/प्राधिकरण/मंच को ही कारण/विवाद पर मुकदमा चलाने का एकमात्र तथा विशेष अधिकार है.
- उम्मीदवारों के पास, अंग्रेजी भाषा/साधारण अंग्रेजी परीक्षा के अलावा अन्य परीक्षा प्रश्नों का उत्तर हिंदी या अंग्रेजी में देने का विकल्प उपलब्ध होगा. उम्मीदवारों को अपने निजी खर्च पर परीक्षा में उपस्थित होना होगा.
- भर्ती किए गए नए उम्मीदवारों में विपणन-कौशल्य का हुनर होना आवश्यक है और उन्हें ग्राहक-भेंट करना और बैंक परिसर के अन्दर तथा बाहर बैंकिंग सेवाएं, परामर्श सेवाएं देना और अतिरिक्त उत्पाद बेचना (क्रास-सेलिंग) आदि करना होगा. इन कर्तव्यों में विस्तृत बाह्य यात्रा का समावेश रहेगा. आवश्यकता के आधार पर, लचीला कार्यसमय रहेगा और पाली (शिफ्ट) में कार्य करना होगा.
- चूंकि इस परियोजना का रेकार्ड, ऑनलाइन परीक्षा के परीक्षा परिणाम घोषित होने के एक वर्ष के बाद नहीं रखे जाएंगे, उसके बाद इस परियोजना से संबंधित जानकारी/डेटा उपलब्ध नहीं रहेंगे.

17. घोषणाएं: इस प्रक्रिया से संबंधित सभी भावी घोषणा/विवरण समय समय पर केवल एसबीआई अधिकृत वेबसाइट <https://bank.sbi/careers> या <https://www.sbi.co.in/careers> पर प्रकाशित/उपलब्ध कराए जाएंगे.

18. **दावात्याग:** यदि भर्ती के किसी भी स्तर पर यह पता लग जाता है कि कोई उम्मीदवार पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं करता है और/या उसने कोई भी गलत/असत्य जानकारी दी है या किसी भी महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाया है, या परीक्षा के दौरान किसी अनुचित प्रथा में लिप्त रहा है, तो उसकी उम्मीदवारिता रद्द कर दी जाएगी. यदि इन कमियों में से किसी का भी नियुक्ति के बाद

पता लग जाता है, तो उनकी सेवाओं को समाप्त किया जा सकता है. पात्रता, लिखित परीक्षा का संचालन, अन्य परीक्षण और चयन आदि से संबंधित सभी मामलों में बैंक का निर्णय अंतिम होगा, और सभी उम्मीदवारों पर बाध्यकारी रहेगा. इस संबंध में बैंक द्वारा कोई अभ्यावेदन या पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा.

किसी भी तरह की सिफारिश अयोग्यता मानी जाएगी.

यह विज्ञापन बैंक की वेबसाइट <https://bank.sbi/careers> या <https://www.sbi.co.in/careers> पर भी उपलब्ध है.

मुंबई
दिनांक: 03.01.2020

प्रिंटिंग में त्रुटि के लिए बैंक जिम्मेदार नहीं है. किसी विवाद की स्थिति में अंग्रेजी में जारी विस्तृत विज्ञापन की शर्तें मान्य होंगी.

महाप्रबंधक
(सीआरपीडी)

राज्य कोड	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	परीक्षा केन्द्र
11	अंडमान व निकोबार	पोर्ट ब्लेअर
12	आंध्र प्रदेश	चिराला, गुंटूर, कड़प्पा, काकीनाडा, कुरनूल, नेल्लोर, राजमुंदरी, श्रीकाकुलम, तिरुपति, विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम, विजयनगरम
13	अरुणाचल प्रदेश	नाहरलागुन
14	असम	डिब्रुगढ़, गुवाहाटी, जोरहाट, सिलचर, तेजपुर
15	बिहार	आरा, औरंगाबाद (बिहार), भागलपुर, दरभंगा, गया, मुजफ्फरपुर, पटना, पुर्णिया
16	चंडीगढ़	चंडीगढ़, मोहाली
17	छत्तीसगढ़	भिलाई नगर, बिलासपुर, रायपुर
18	गोवा	पणजी
19	गुजरात	अहमदाबाद - गांधीनगर, आनंद, जामनगर, मेहसाणा, राजकोट, सुरत, वडोदरा
20	हरियाणा	अंबाला, फरीदाबाद, गुरुग्राम, हिस्सार, करनाल, कुरुक्षेत्र, सोनिपत, यमुना नगर,
21	हिमाचल प्रदेश	बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सोलन, उना
22	जम्मू और कश्मीर	जम्मू, सांबा, श्रीनगर
23	झारखंड	बोकारो स्टील सिटी, धनबाद, हजारीबाग, जमशेदपुर, रांची
24	कर्नाटक	बेंगलूरु, बेलगांव, दावणगेरे, गुलबर्गा, हसन, हुबली-धारवाड, मांड्या, मंगलोर, मैसूर, शिमोगा, उडुपी
25	केरल	आलपुला, कन्नूर, कोचि, कोल्लम, कोट्टयम, कोलीकोड, मलप्पुरम, पालक्काड, त्रिशशुर, तिरुवनंतपुरम
26	लक्ष्यद्वीप	कवराती
27	मध्य प्रदेश	भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, सतना, सागर, उज्जैन

राज्य कोड	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	परीक्षा केन्द्र
28	महाराष्ट्र	अमरावती, औरंगाबाद (महाराष्ट्र), चंद्रपुर, धुले, जलगाँव, कोल्हापुर, लातूर, मुंबई/ठाणे/नवी मुंबई, नागपुर, नांदेड, नाशिक, पुणे, सोलापुर
29	मणिपुर	इम्फाल
30	मेघालय	शिलाँग
31	मिजोराम	ऐजवल
32	नागालैंड	कोहिमा
33	दिल्ली-एनसीआर	दिल्ली एनसीआर (सभी एनसीआर सिटी)
34	ओडिशा	बालेशर, बरहम्पुर (गंजाम), भुवनेश्वर, कटक, ढेन्कानाल, राउरकेला, संबलपुर
35	पुदुचेरी	पुदुचेरी
36	पंजाब	अमृतसर, भटिंडा, जालंधर, लुधियाना, मोहाली, पठानकोट, पटियाला, संगरूर
37	राजस्थान	अजमेर, अलवर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, सीकर, उदयपुर
38	सिक्किम	बाराङ्ग-गंगटोक
39	तमिलनाडु	चेन्नई, कोयंबतूर, ईरोड, मदुरई, नागरकोइल, सेलम, तंजावुर, तिरुचिरापल्ली, तिरुनेल्वेली, वेल्लोर, विरुदुनगर
40	तेलंगाना	हैदराबाद, करीमनगर, खम्मम, वारंगल
41	त्रिपुरा	अगरतला
42	उत्तर प्रदेश	आगरा, अलीगढ़, प्रयागराज (इलाहाबाद), बरेली, फैजाबाद, गाजियाबाद, गोंडा, गोरखपुर, झाँसी, कानपुर, लखनऊ, मथुरा, मेरठ, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, नोएडा और ग्रेटर नोएडा, वाराणसी,
43	उत्तराखंड	देहरादून, हल्द्वानी, रुड़की
44	पश्चिम बंगाल	आसनसोल, दुर्गापुर, ग्रेटर कोलकाता, हुगली, कल्याणी, सिलीगुड़ी

अनुलग्नक-II

स्कैनिंग और फोटो अपलोड (4.5cm x 3.5cm) एवं हस्ताक्षर करने के लिए दिशानिर्देश:

ऑनलाइन आवेदन करने से पहले उम्मीदवार के पास निम्नलिखित विनिर्देशों के अनुसार फोटोग्राफ और हस्ताक्षर के स्कैन की हुई (डिजिटल) इमेज होना आवश्यक होगा।

फोटोग्राफ इमेज:

- फोटोग्राफ अद्यतन, पासपोर्ट साइज और रंगीन होना चाहिए।
- पिक्चर रंगीन होनी चाहिए और वह सफेद या फीकी रंगीन पार्श्वभूमि पर होनी चाहिए।
- स्वस्थ चित्त होकर कैमरे की ओर सीधे देखें।
- यदि फोटो सूर्यप्रकाश में ली जाएं तो सूरज आपके पीछे हो या आप छाया में खड़े हो, जिससे आपका फोटो साफ आए।
- अगर आपको फ्लैश का उपयोग करना पड़े तो 'रेड आई' न हो।
- अगर आप चश्मे का उपयोग करते हैं, तो आपकी आँखें साफ नजर आने के लिए चश्मे पर प्रतिबिंब न हो।
- टोपियाँ, हैट और काला चश्मा स्वीकार्य नहीं है। धार्मिक परंपरा के अनुसार पगड़ी स्वीकार्य है, पर उससे आपका चेहरा ढकना नहीं चाहिए।
- आयाम 200 x 230 पिक्सल (वरीयतः)
- फाइल का साइज 20 केबी-50 केबी के दरम्यान हो।
- यह सुनिश्चित करें कि स्कैन की हुई फोटो की साइज 50 केबी से अधिक न हो। अगर फाइल की साइज 50 केबी से अधिक है, तो स्कैनर का सेटिंग इस तरह समायोजित करें कि डीपीआई रिजोल्यूशन, रंगों की संख्या आदि स्कैनिंग ठीक हो।

हस्ताक्षर इमेज:

- उम्मीदवार सफेद कागज पर काले स्याही के पेन से हस्ताक्षर करें।
- हस्ताक्षर केवल उम्मीदवार का हो, और किसी अन्य व्यक्ति का हस्ताक्षर न हो।
- हस्ताक्षर का उपयोग कॉल लेटर पर या अन्यत्र जहाँ जरूरी हो, किया जाएगा।
- परीक्षा के समय यदि उत्तर पुस्तिका (स्क्रिप्ट) पर किए हुए उम्मीदवार के हस्ताक्षर कॉल लेटर के हस्ताक्षर से नहीं मिलते, तो आवेदक को अपात्र समझा जाएगा।
- आयाम 140 x 60 पिक्सल (वरीयतः)
- फाइल की साइज 10 केबी-20 केबी हो
- सुनिश्चित करें कि स्कैन किए हुए हस्ताक्षर का आकार 20 केबी से अधिक न हो।
- कैपिटल अक्षरों में किया गया हस्ताक्षर स्वीकृत नहीं होगा।

फोटोग्राफ और हस्ताक्षर स्कैनिंग:

- स्कैन का रिजोल्यूशन न्यूनतम 200 डीपीआई (डॉट्स प्रति इंच) सेट करें।
- असली कलर सेटिंग करें।
- फाइल साइज, जैसा ऊपर विनिर्दिष्ट किया गया है।

- फोटोग्राफ/हस्ताक्षर इमेज स्कैनर पर रखें, तत्पश्चात् अपलोड एडिटर की मदद से इमेज को अंतिम साइज में लाएं (जैसा ऊपर विनिर्दिष्ट किया गया है)।
- प्रतिमा की फाइल जेपीजी या जेपीईजी फारमैट में हो। उदाहरण के लिए फाइल का नाम 'image01.jpg' अथवा 'image01.jpeg'. इमेज के आयाम की जांच फोल्डर फाइल का लिस्टिंग करके या माऊस को फाइल इमेज आईकॉन की ओर घुमाकर की जा सकती है।
- एमएस विन्डोज/एमएस ऑफिस इस्तेमाल करने वाले उम्मीदवार फोटोग्राफ और हस्ताक्षर जेपीईजी फारमैट में जो क्रमशः 50 केबी और 20 केबी से अधिक न हो, एमएस पेन्ट या एमएस ऑफिस पिक्चर मैनेजर की मदद से आसानी से कर सकते हैं। किसी भी फारमैट में उपलब्ध स्कैन्ड फोटो और हस्ताक्षर जेपीईजी फारमैट में 'सेव एज' विकल्प चुनकर फाइल मेनू में सेव किया जा सकता है और फोटो का साइज 50 केबी से कम और हस्ताक्षर का साइज 20 केबी से कम साइज में लाया जा सकता है। इसके लिए क्रॉप का और रिसाइज विकल्प 'इमेज मेन्यू' में करें (पिक्सल साइज के लिए कृपया उपर्युक्त बिंदु 1. और 2. देखें)। इसी तरह का विकल्प अन्य फोटो एडिटर में भी उपलब्ध है।
- यदि फाइल साइज एवं फारमैट निर्धारित मानदंड के अनुसार नहीं है, तो त्रुटि संदेश (error) नजर आएगा।
- ऑनलाइन आवेदन करते समय उम्मीदवार को उसका फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करने के लिए लिंक उपलब्ध कराया जाएगा।

फोटोग्राफ और हस्ताक्षर अपलोड करने की कार्य प्रणाली:

- फोटोग्राफ और हस्ताक्षर अपलोड करने के लिए दो अलग-अलग लिंक होंगे।
- संबंधित लिंक पर 'अपलोड फोटोग्राफ/हस्ताक्षर' क्लिक करें।
- स्कैन्ड फोटो/हस्ताक्षर फाइल जहाँ पर 'सेव' की गई हो, वह स्थान ढूँढ़कर सिलेक्ट करें।
- क्लिक से फाइल सिलेक्ट करें।
- 'ओपन/अपलोड' बटन पर क्लिक करें।

आपका ऑनलाइन आवेदन तब तक पंजीकृत नहीं होगा जब तक कि आप फोटोग्राफ और हस्ताक्षर को निर्दिष्ट तरीके से अपलोड नहीं करते हैं।

नोट:

- यदि फोटोग्राफ में चेहरा या हस्ताक्षर साफ नहीं दिख रहा है, तो उम्मीदवार का आवेदन अस्वीकृत हो सकता है। ऑनलाइन आवेदन फार्म में फोटोग्राफ/हस्ताक्षर अपलोड करने के बाद उम्मीदवार को एक बार देख लेना चाहिए कि चित्र स्पष्ट है और ठीक तरीके से अपलोड किए गए हैं। फोटोग्राफ या हस्ताक्षर स्पष्ट रूप से दिखाई न देता हो, तो फॉर्म को जमा करने से पहले, उम्मीदवार अपने आवेदन में संशोधन कर सकता है तथा अपना फोटोग्राफ और हस्ताक्षर फिर से अपलोड कर सकता है।
- ऑनलाइन पंजीकरण करने के बाद उम्मीदवार को सूचित किया जाता है कि वे अपने सिस्टम द्वारा जनरेट किए गए ऑनलाइन आवेदन पत्र का प्रिंट-आउट ले लें।

<p style="text-align: center;">प्रारूप - ए</p> <p style="text-align: center;">कार्यमुक्त/सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए लागू प्रमाण-पत्र का फॉर्म</p> <p>प्रमाणित किया जाता है कि क्र..... रैंक..... नाम.....</p> <p>..... जिनकी जन्मतिथि..... है, ने थलसेना/नौसेना/वायुसेना में से तक अपनी सेवाएं प्रदान की हैं।</p> <p>2. वह सैन्य सेवाओं से कार्यमुक्त हुए हैं:</p> <p>क) असाइन्मेंट पूरा होने पर, परंतु निम्न कारणों से नहीं</p> <p>(i) बर्खास्तगी द्वारा, या</p> <p>(ii) दुर्व्यवहार या अकार्यकुशलता के कारण सेवा से अलग करने पर, या</p> <p>(iii) उनके स्वयं के आग्रह पर लेकिन अपनी पेंशन अर्जित किए बिना, या</p> <p>(iv) वह ऐसी रिलीज़ के लंबित होने के कारण रिजर्व में स्थानांतरित नहीं किए गए हैं</p> <p>ख) सैन्य सेवा के कारण शारीरिक विकलांगता</p> <p>ग) सैन्य सेवा के कम से कम पांच वर्ष की सेवा के बाद निःशक्तता पर</p> <p>3. उसे भूतपूर्व सैनिक (केंद्रीय सिविल सेवाओं और पदों में पुनःनियुक्ति) नियम, 1979, यथा समय-समय पर संशोधित, की परिभाषा के अंतर्गत शामिल किया गया है।</p> <p>स्थान : सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर, दिनांक: नाम और पदनाम** % लागू न हो वह पैराग्राफ काट दें. मुहर</p>	<p style="text-align: center;">प्रारूप - सी</p> <p style="text-align: center;">एक वर्ष में कार्यमुक्त होने वाले</p> <p style="text-align: center;">सेवारत सशस्त्र बल कर्मचारी द्वारा शपथपत्र दिया जाए</p> <p>(1) मैं यह जानता हूँ कि, इस आवेदन-पत्र से संबंधित भर्ती/परीक्षा के आधार पर चयनित होने पर, मेरी नियुक्ति, नियुक्ति कर्ता प्राधिकारी को संतोषजनक दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत करने के अध्यक्षीन होगी, कि मैं सशस्त्र बलों से बकायदा कार्यमुक्त/सेवानिवृत्त/सेवामुक्त हूँ और मैं भूतपूर्व सैनिक (केंद्रीय सिविल सेवाओं और पदों में पुनः नियुक्ति) नियम, 1979, यथा समय-समय पर संशोधित, की परिभाषा के अंतर्गत मान्य लाभों के लिए पात्र हूँ।</p> <p>(2) मैं यह भी जानता हूँ कि इस परीक्षा में शामिल किए गए भर्ती के संबंध में भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित रिक्त-पद के लिए उस स्थिति में नियुक्ति का पात्र नहीं रहूंगा जब ऐसी नियुक्ति से पहले कभी भी मैंने, भूतपूर्व सैनिकों को मान्य रिक्त-पदों के आरक्षण की रियायत का लाभ लेकर सिविल पक्ष (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्वायत्तशासी निकाय/वैधानिक निकाय, राष्ट्रीयकृत बैंक आदि) में कोई रोजगार प्राप्त कर लिया हो।</p> <p>स्थान: हस्ताक्षर दिनांक: उम्मीदवार का नाम</p>
<p style="text-align: center;">प्रारूप - बी</p> <p style="text-align: center;">सेवारत कर्मचारी के प्रमाण-पत्र हेतु फॉर्म</p> <p style="text-align: center;">(उन सेवारत कर्मचारियों के लिए लागू जो एक वर्ष में कार्यमुक्त होनेवाले हैं)</p> <p>प्रमाणित किया जाता है कि, क्र..... रैंक..... नाम.....</p> <p>..... जिनकी जन्मतिथि..... है, से थलसेना/नौसेना/वायुसेना में..... से सेवारत हैं।</p> <p>2. वह असाइन्मेंट की निर्दिष्ट अवधि पूरी होने पर कार्यमुक्त/सेवानिवृत्त हो जाएंगे।</p> <p>3. उनके विरुद्ध कोई अनुशासनिक कार्रवाई लंबित नहीं है।</p> <p>स्थान: सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर, दिनांक: नाम और पदनाम** मुहर</p>	<p style="text-align: center;">प्रारूप - डी</p> <p style="text-align: center;">अपना आरंभिक असाइन्मेंट पूरा कर चुके और विस्तारित असाइन्मेंट पर</p> <p style="text-align: center;">कार्यरत कर्मचारियों के लिए लागू प्रमाण-पत्र का फॉर्म</p> <p>प्रमाणित किया जाता है कि, क्र..... रैंक..... नाम..... जिनकी जन्मतिथि..... है, से थलसेना/नौसेना/वायुसेना में सेवारत हैं।</p> <p>2. वह..... को अपना पांच वर्ष का आरंभिक असाइन्मेंट पूरा कर चुके हैं और तक विस्तारित असाइन्मेंट पर हैं।</p> <p>3. सिविल रोजगार के लिए उनके आवेदन करने पर हमें कोई आपत्ति नहीं है और चयनित होने पर नियुक्ति प्रस्ताव प्राप्त होने की तिथि से उन्हें तीन माह की सूचना में कार्यमुक्त कर दिया जाएगा।</p> <p>स्थान: सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर, दिनांक: नाम और पदनाम** मुहर</p>
<p>** आयु में रियायत प्राप्त करने के लिए सशस्त्र बलों को प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए निम्नलिखित सक्षम प्राधिकारी हैं:</p> <p>(अ) ईसीओ/एसएससीओ सहित कमीशन्ड अधिकारियों के मामले में: थलसेना: मिलिट्री सेक्रेटरी ब्रांच, थलसेना मुख्यालय, नई दिल्ली; नौसेना: कार्मिक निदेशालय, नौसेना मुख्यालय, नई दिल्ली; वायुसेना: कार्मिक अधिकारियों का निदेशालय, वायुसेना मुख्यालय, नई दिल्ली. (ब) जेसीओ/ओआर और नौसेना तथा वायुसेना के समकक्ष पदों के लिए: थलसेना: विभिन्न रेजिमेंट रिकॉर्ड कार्यालयों द्वारा; नौसेना: बीएबीएस, मुंबई; वायुसेना: वायुसेना रिकॉर्ड्स, नई दिल्ली.</p>	